न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2026
गोकुल सिंह पुत्र श्री मूल सिंह, निवासी ग्राम पौंख, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. झुंढ़ाराम कुड हाल तहसीलदार, उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. नगरपालिका पौंख/ग्राम पंचायत पौंख, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.) जरिये सरपंच
3. मनोहर कंवर पुत्री तार सिंह, निवासी ग्राम पौंख, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)
4. इचरज कंवर पत्नी तार सिंह, निवासी ग्राम पौंख, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)
5. तोप कंवर पुत्री तार सिंह, निवासी ग्राम पौंख, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)
6. भूमिधारक तहसीलदार महोदय उदयुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थितः–
1. श्री कुलदीप सिहं, एडवोकेट– आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री अरविन्द सैनी , अभिभाषक– अनावेदक सं0 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक संख्या 1 व 6 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं0 3 ल0 4 अनुपस्थित।

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र उनवानी अध्यक्ष नगरपालिका पौंख बनाम मनोहर कंवर वगैरह मु.न. 01/2024 प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 आर.टी.एक्ट न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.01.2026

आदेश

दिनांक 05.03.2026

आवेदक के अनुसार प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण विचारण न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की अदालत में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.01.2026 नियत है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के प्रभाव में आकर लगातार छोटी तारीख पेशी दी जा रही है जिससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रकरण में प्रार्थी के साथ उचित न्याय निर्णय नहीं होगा तथा प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 2 ने ऐलानिया धमकी दी कि मेरी प्रकरण में निर्णय करवाने के लिए पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 1 से बात हो गई है तथा जल्द ही मैं प्रकरण को मेरे हक में निर्णय करवा लूंगा। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा धमकी देने पर प्रार्थी ने जानकारी की तो प्रार्थी को पता चला कि प्रकरण के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 1 को अप्रार्थी सं. 2 ने अपने नाजायज प्रभाव में ले रखा है तथा उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी को अप्रार्थी सं. 2 द्वारा पीठासीन अधिकारी से आदेश पारित करवाने की भी प्रार्थी को धमकी दी गई है। अगर उक्त प्रकरण में प्रार्थी को बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया जाता है तो प्रार्थी को सख्त हकतल्फी होगी तथा प्रार्थी उचित न्याय निर्णय से पारित वंचित हो जायेगी। इस कारण प्रार्थी प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करवाना चाहता है। ग्राम पौंख में स्थित भूमि खसरा न. 524, 523, 497, 487 के बाबत प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में एक दावा उनवानी गोकुल सिंह बनाम मालाराम आदि बाबत नक्शा रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसके साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया गया था जिसके मुकदमा न.1/2025 है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा उपरोक्त भूमि बाबत मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का स्थगन आदेश दिनांक 02.01.2025 को पारित किया गया था जो वर्तमान में भी प्रभावी है। इसके बावजूद अप्रार्थी सं. 1 आदेश पारित

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कर भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। प्रार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से प्रकरण का निस्तारण नहीं होने तक उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का आदेश पारित कर दिया जाता है तो प्रार्थी को सख्त हकतल्फी होगी तथा प्रार्थी उचित न्याय निर्णय से वंचित हो जायेगा। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार विचारण न्यायालय से प्रकरण की पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाकर प्रकरण मे आगामी कार्यवाही की जाना व उचित न्याय निर्णय किया जाना उचित व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र सेवा में पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र उनवानी अध्यक्ष नगर पालिका पौंख बनाम मनोहर कंवर वगैरह मु.न. 01/2024 प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 आर.टी. एक्ट न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी को विचारण न्यायालय से दीगर सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित कर प्रकरण में उचित न्याय निर्णय किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने पत्रांक 36 दिनांक 21.01.2026 को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसके अनुसार प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई, जबाब साक्ष्य सबुत एवं अपना पक्ष रखने एवं विधिवत सुनवाई हेतु पर्याप्त समयानुसार तारीख पेशी तथा समय दिया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द सैनी तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। शेष अप्रार्थीगण 3, 4 व 5 के संबंध में वकील अप्रार्थी ने अवगत कराया की यह पक्षकार प्रार्थी के परिवार के ही पक्षकार है जिसे वकील प्रार्थी ने स्वीकार किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदक ने उपरोक्त उनवानी प्रकरण विचारण न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की अदालत में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.01.2026 नियत है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के प्रभाव में आकर लगातार छोटी तारीख पेशी दी जा रही है जिससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रकरण में प्रार्थी के साथ उचित न्याय निर्णय नहीं होगा तथा प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 2 ने ऐलानिया धमकी दी कि मेरी प्रकरण में निर्णय करवाने के लिए पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 1 से बात हो गई है तथा जल्द ही मैं प्रकरण को मेरे हक में निर्णय करवा लूंगा। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा धमकी देने पर प्रार्थी ने जानकारी की तो प्रार्थी को पता चला कि प्रकरण के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं. 1 को अप्रार्थी सं. 2 ने अपने नाजायज प्रभाव में ले रखा है तथा उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी को अप्रार्थी सं. 2 द्वारा पीठासीन अधिकारी से आदेश पारित करवाने की भी प्रार्थी को धमकी दी गई है। अगर उक्त प्रकरण में प्रार्थी को बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया जाता है तो प्रार्थी को सख्त हकतल्फी होगी तथा प्रार्थी उचित न्याय निर्णय से पारित वंचित हो जायेगी। इस कारण प्रार्थी प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करवाना चाहता है। ग्राम पौंख में स्थित भूमि खसरा न. 524, 523, 497, 487 के बाबत प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में एक दावा उनवानी गोकुल सिंह बनाम मालाराम आदि बाबत नक्शा रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसके साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया गया था जिसके मुकदमा न.1/2025 है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा उपरोक्त भूमि बाबत मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का स्थगन आदेश दिनांक 02.01.2025 को पारित किया गया था जो वर्तमान में भी प्रभावी है। इसके बावजूद अप्रार्थी सं. 1 आदेश पारित कर भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। प्रार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से प्रकरण का निस्तारण नहीं होने तक उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का आदेश पारित कर दिया जाता है तो प्रार्थी को सख्त हकतल्फी होगी तथा प्रार्थी उचित न्याय निर्णय से वंचित हो जायेगा। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार विचारण न्यायालय से प्रकरण की पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाकर प्रकरण मे आगामी कार्यवाही की जाना व उचित न्याय निर्णय किया जाना उचित व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र सेवा में पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र उनवानी अध्यक्ष नगर पालिका पौंख बनाम मनोहर कंवर वगैरह मु.न. 01/2024 प्रार्थना पत्र अ.

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

धा. 251 आर.टी. एक्ट न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी को विचारण न्यायालय से दीगर सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित कर प्रकरण में उचित न्याय निर्णय किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी सं0 2 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अनावश्यक देरी के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण निराधार तथ्यों पर पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक प्रार्थी सं0 1 व 6 ने अपनी बहस में वकील आवेदक के कथनों का विरोध किया तथा कथन किया कि तहसीलदार, उदयपुरवाटी द्वारा पक्षकारान् को समुचित रूप से सुना गया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य आघारहीन है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी का अहम तर्क यह रहा है कि न्यायालय तहसीलदार उदयपुवाटी के यहां विचाराधीन प्रकरण में उनके द्वारा सुनवाई समुचित रूप से नहीं की जा रही है प्रार्थी द्वारा अन्य पक्षकार जिनकी सुनवाई आवश्यक है उन्हे पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें भी सुनवाई नहीं की गई है। न्यायलय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार होना चाहिए जिससे कोई पक्षकार सुनवाई से वंचित ना रहे। सभी पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई अवसर प्रदान करना ही न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निस्तारण कर तहसीलदार उदयपुवाटी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में सभी पक्षकारों को नियमानुसार सुनवाई तथा साक्ष्य सबुत पेश करने का पूर्ण अवसर देते हुये तीन माह के अन्दर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूप गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं